झारखण्ड सरकार

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com

पत्रांक 13E-05-11/2016 दिनांक :–

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल

विषय :– मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अपर्णा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 1978 दिनांक 10.04.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत प्रस्ताव में क्षेत्रीय मुख्य वन सरंक्षक, हजारीबाग द्वारा चार (4) बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जिसके आलोक में आपने प्रसंगाधीन पत्र द्वारा त्रुटियाँ का निराकरण कर प्रस्ताव समर्पित किया है।

1. पृच्छा संख्या 1 के संबंध में स्पष्ट करना है कि आवेदक के द्वारा यह कहा जाना कि "Stage- I clearance of forest land is the prerequisite documents to obtain environmental clearance form SEIAA, Jharkhand" को काई आधार संलग्न नहीं किया गया है। वस्तुतः इससे सबंधित विषय पर भारत सरकार के पत्रांक 6–10/2011–WL दिनांक 19.12.2012 की कंडिका 2 (छायाप्रति संलग्न) में स्पष्ट किया गया है कि "Project proponents may simultaneously apply for Environmental, Forest and NBWL clearance ---" अतः आवेदक का जबाब तथ्यों पर आधारित नहीं है।

2. समर्पित निराकरण प्रतिवेदन के पृच्छा संख्या–4 के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल का पत्र 1366 दिनांक 29.03.2017 का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में सलंग्न की गई है, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि की स्थलीय जांच अमीन द्वारा करा लिया गया है, जिसके अनुसार उक्त भूमि अतिक्रमण से मुक्त है।

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड रांची के पत्रांक 4729 दिनांक 19.12.2014 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेशित करना है कि पत्र में दिये गए दिशा निर्देश के अनुरूप संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का स्वयं निरीक्षण करेंगे तथा प्रस्तावित भूमि के Land Shedule तथा मानचित्र पर उपयुक्तता प्रमाण पत्र अंकित करेंगे।

अतएव प्रस्ताव की सभी आठ मूल प्रति (ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी) वापस करते हुए अनुरोध है कि उक्त त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्ताव समर्पित किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

आपका विश्वासी
ह0/–
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

ज्ञापांक 1000 दिनांक 14/04/17

प्रतिलिपि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक 14/4
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग